न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर)

मु.न. 151 / 2019

उनवान

1. गजानन्द पुत्र छोटूराम
2. बिदामी देवी पत्नि हनुमान
3. रामेश्वरी पत्नि गजानन्द

समस्त जाति कुमावत, निवासी ग्राम गोविन्दगढ़ तहसील चौमूं जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार चौमूं जिला जयपुर।
2. हणमान पुत्र बोदूराम, जाति जाट, निवासी गोविन्दगढ़, तहसील चौंमू जिला जयपुर।
3. शंकर पुत्र कानाराम बुनकर, जाति बलाई, निवासी ग्राम गोविन्दगढ़, तहसील चौंमू जिला जयपुर।
4. कोयली देवी पत्नी श्री बोदूराम जाति–जाट निवासी गढवालों की ढाणी ग्राम मलिकपुर तहसील चौमूँ जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 राज0 भू0राजस्व अधि0 1956

निर्णय दिनांक 21.05.2018

प्रार्थीगण ने प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 111, एल0आर0एक्ट का पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम गोविन्दगढ़, में प्रार्थीगण की एकमात्र खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 916, 917, 918, 919, 920 कुल किता 5 का कुल रकबा 1.43 हैक्ट0 है, जिस पर प्रार्थीगण मौके पर काबिज मालिक, स्वामी है एवं काम में ले रहे है। जिसमें पडौसियों या अन्य का किसी भी प्रकार से कोई हक अधिकार या उज्र नही है।

प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे की भूमियॉं वर्णित मद नं0 2 का सीमाज्ञान दिनांक 16, 17 / 10 / 08 को पटवारी हल्का गोविन्दगढ, प. ह.मलिकपुर, भू. अभि. निरीक्षक गोविन्दगढ के द्वारा तहसीलदार महोदय चौमूं के आदेश दिनांक 13.10.2008 से सीमाज्ञान करवाया हुआ है, जिस पर गवाहान के भी तथा पटवारी हल्का मलिकपुर, भू. अभि. नि. गोविन्दगढ, पटवारी गोविन्दगढ तथा आस–पडोस के गवाहान के हस्ताक्षर हैं। जिसमें किसी को भी आपत्ति नही थी क्योंकि जमीन प्रार्थीगण की थी।

अतः प्रार्थना पत्र तहत धारा 111 भू राजस्व अधिनियम बाबत पत्थरगढी करवाने का प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमियां मद सं. 2 में वर्णित खसरा नम्बर 919, 917, 918, 919, 920 कुल किता 5 का कुल रकबा 1.43 हैक्ट. भूमि की पत्थरगढी दिनांक 13.10.2008 को तहसीलदार महोदय चौमूं के आदेश कमांक भ.अ. / 06 / 1916 दिनांक 25.05.2006 द्वारा किये गये सीमाज्ञान की पालना में सीमाज्ञान किये गये अनुसार उन्ही चिन्हों पर पत्थरगढी करेन के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अप्रार्थीया संख्या 4 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया हैं कि प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में कहीं पर भी पत्थरगढी करवाने का किसी प्रकार का कोई वाद कारण उल्लेख नही किया जबकि प्रार्थीगण को अपने प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट करना आवश्यक हैं कि कब प्रार्थीगण को उक्त सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी करने बाबत इंकार किया गया तथा क्यों प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया हैं,

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

यह कतई उल्लेखित नही किया इससे पूर्णतया स्पष्ट हैं कि प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व किसी प्रकार का वाद कारण उत्पन्न नही हुआ।

उक्त भूमि के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा की तरफ स्थिति खातेदारी भूमि के खातेदारान को उक्त प्रकरण में बदनियतीवश पक्षकार नही बनाया गया हैं, जबकि प्रार्थीगण द्वारा अपनी सम्पूर्ण भूमि की पत्थरगढी करवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश किया गया हैं। जबकि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में यह पूर्णतया प्रतिपादित हैं कि किसी भूमि की सीमाज्ञान व पत्थरगढी की कार्यवाही पडौसी खातेदारान की जानकारी व उपस्थित में ही की जा सकती है।

उक्त सम्पूर्ण भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा कतई नहीं हैं, कुछ हिस्से की भूमि पर मिन अप्रार्थीया का कब्जा व काश्त चला आ रहा हैं, प्रार्थीगण द्वारा जो खातेदारी खुलवाई गई हैं उसकी दुरूस्ती के सन्दर्भ में एक वाद न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमूँ जयपुर के समक्ष वाद बाबात घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रकरण संख्या 202/09 एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रकरण संख्या 141/09 विचाराधीन हैं, तथा उक्त न्यायालय द्वारा दिनांक 14.10.2009 से उक्त विवादित भूमि के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान किये हुए हैं, जो आज दिनांक तक प्रभावी हैं, ऐसी परिस्थिति में जब तक उक्त दावे वे प्रार्थना पत्र का निस्तारण नही हो जाता हैं तब तक उक्त प्रकरण में किसी प्रकार के सीमाज्ञान व पत्थरगढी की कार्यवाही नही की जा सकती हैं।

अतः जबाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय श्रीमान् जी से निवेदन हैं कि प्रार्थीगण ने मौका स्थिति को छुपाते हुये, आवश्यक पक्षकारान को पक्षकार बनाये बिना गलत सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया हैं जिसे मय हर्जे खर्चे खारीज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र पर पक्षकारों को सुना गया। पत्रावली, जवाब प्रार्थना पत्र व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण आवेदित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमू के आदेश से दिनांक 16, 17.10.2008 को सीमाज्ञान पटवारी हल्का द्वारा करवाया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थी का प्रा0पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तथा मौके पर फसल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 16, 17.10.2008 के अनुसार उभयपक्षकारों को सूचित करते हुये पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियव्रत सिंह चारण)
उपखण्ड अधिकारी
चौमू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
चौमू (जयपुर)

Scanned by CamScanner